न्यायालयः– अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अभिलाष कल्ला, आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या – 312/2018
सी.आई.एस. नं. – 312/2018
सी.एन.आर. नं. – RJMR020005442018

राजस्थान राज्य ..... परिवादी

बनाम

1. महेन्द्र उर्फ बगदाराम पुत्र पुसाराम,
2. रामकिशोर उर्फ रामाकिशन पुत्र पुसाराम,
निवासीगण धनापा, पुलिस थाना गोटन, जिला नागौर। ..... अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 447, 323 व 504/34 भादंसं

उपस्थितिः–

1– सहायक अभियोजन अधिकारी राजस्थान राज्य की ओर से।
2– श्री नवल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।
3– श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांकः–30.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी निरंजन ने एक तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 04.02.2018 को पुलिस थाना गोटन के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 04.02.2018 को दोपहर करीब 1.30 बजे वह उसके खेत संभालने गया था। वह खेत में था तब अनाधिकृत रूप से पुसाराम, रामूड़ी, बगदाराम उर्फ महेन्द्र, रामकिशोर निवासीगण धनापा वाले आए और जे.सी.बी. से माठ पर उनके खेत में खड़े पेड़ उखाड़ने लगे। उसने मना किया तो सभी ने गाली गलौच करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मुलजिम रामकिशोर के हाथ में लाठी थी जिससे उसके साथ मारपीट की है। शेष मुलजिमान ने थापा मुक्कों से मारपीट की है। इसी खेत की माठ को लेकर करीब 15 दिन पहले उन्होंने मुलजिमानों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। घटना के समय उसके खेत में स्प्रे कर रहे कृषा सुगनाराम माली ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया था।.... इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोटन ने प्रकरण संख्या 19/2018 अंतर्गत धारा 447, 323 व 504/34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण महेन्द्र उर्फ बगदाराम एवं रामकिशोर उर्फ रामाकिशन के विरूद्ध आरोप

पत्र अंतर्गत धारा 447, 323 व 504/34 भा.दं.सं. का न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस आरोप उभय पक्षकारान सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 447, 323 व 504/34 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहों व दस्तावेजात को पेश कर परीक्षित व प्रदर्शित करवायाः–

क्र.सं.	साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	विवरण
1.	पी.ड. 1	राजेश	नक्शा मौका
2.	पी.ड. 2	गुमानराम	नक्शा मौका
3.	पी.ड. 3	अशोक गिवारिया	पटवारी
4.	पी.ड. 4	डॉ. सुखराम	चिकित्सकीय साक्षी
5.	पी.ड. 5	निरंजन कुमार	परिवादी/मजरूब
6.	पी.ड. 6	संजीव मुण्डेल	गवाह
7.	पी.ड. 7	पारसराम	गवाह
8.	पी.ड. 8	कुन्दन	गवाह
9.	पी.ड. 9	सुगनाराम	चक्षुदर्शी गवाह
10.	पी.ड. 10	ओमप्रकाश	अनुसंधान अधिकारी

–ः अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूचीः–

क्र.सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श पी संख्या	प्रदर्श करवाने वाला गवाह
1.	फर्द नक्शा मौका हालात मौका	1	1
2.	जमाबंदी खतौनी	2	3

3.	ट्रेस नक्शा की प्रमाणित प्रति	3	3
4.	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब निरंजन	4	4
5.	तहरीरी रिपोर्ट	5	5
6.	चाक एफ.आई.आर.	6	5

6. अभियुक्तगण की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध की गई। अभियुक्तगण ने सभी गवाहान के गलत कहने, स्वयं के निर्दोष होने व राजनीतिक द्वेषता के कारण झूठा फंसाये जाने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

7. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किए हैं कि पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे। जिसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि परिवादी ने हस्तगत प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा दर्ज करवाया है। परिवादी व अभियुक्तगण के खेत पास–पास आये हुए हैं तथा उक्त खेतों के मध्य निकल रहे रास्ते पर अभियुक्तगण द्वारा जे.सी.बी. से रास्ता साफ करने के दौरान पक्षकारों के मध्य मात्र बोलचाल हुई थी। जिसे परिवादी ने बढ़ा चढ़ा कर बयान देकर आपराधिक प्रकरण का रंग दिया है। अभियोजन पक्ष के द्वारा परीक्षित सभी गवाहों के कथनों में भारी विरोधाभास है तथा उक्त गवाह प्रतिपरीक्षण में पूर्ण रूप से खण्डित हुए हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि परिवादी व अभियुक्तगण के परिवार के मध्य खेत की माठ को लेकर विवाद है जिसके तहत ही उक्त प्रकरण अभियुक्तगण पर दबाव बनाने की नियत से दर्ज करवाया गया है तथा मिथ्या कथन किया गया है। अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि परिवादी ने अभियुक्तगण महेन्द्र पुत्र पुसाराम , रामकिशोर पुत्र पुसाराम, पुसाराम पुत्र हरीराम, रामूड़ी पत्नी हरीराम चारों द्वारा स्वयं के साथ मारपीट करना बताया परंतु स्वयं अनुसंधान अधिकारी द्वारा पुसाराम व रामूड़ी की हद तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठा नाम लिखाने का कथन स्वीकार किया गया है जो इस बात को परीलक्षित करता है कि परिवादी ने मिथ्या बयानी की है। परिवादी द्वारा खेत की माठ पर लगे पेड़ों को जे.सी.बी. से उखाड़ने का कथन किया जो भी अनुसंधान अधिकारी व स्वयं गवाहान के द्वारा ताईद नहीं किया हुआ है जिससे भी परिवादी के बयानों पर संदेह उत्पन्न होता है। परिवादी ने उसके कृषे सुगनाराम द्वारा

बीच बचाव कर छुड़ाने का कथन किया है परंतु उक्त चक्षुदर्शी गवाह सुगनाराम पी.ड. 9 अपने प्रतिपरीक्षण के बयानों में पूर्णतः खण्डित हुआ है जिससे भी हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण की संलिप्तता पर गहरा संदेह उत्पन्न होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा परिवादी के कब्जे के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे भी धारा 447 भादंसं का अपराध साबित नहीं होता है। अतः अंत में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण संदेह से परे साबित नहीं कर सकने के आधार पर अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

8. पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि ः –

1– क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04.02.2018 को दोहपर करीब 1.30 बजे मौजा मुण्डेलो की ढाणी सरहद धनापा स्थित परिवादी के खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार करते हुए परिवादी के साथ थापा, मुक्को व लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां की एवं परिवादी के साथ गाली गलौच कर उसको साशय अपमानित किया कि वह शांति भंग करने हेतु प्रकोपित हो?

2– "यदि हां तो युक्तियुक्त दंड क्या होगा ?"

9. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। अभियोजन पक्ष ने विचारणीय बिन्दू को साबित करने के लिए कुल 10 गवाहान को पेश कर परिक्षित करवाया।

10. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन व विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि अभियुक्त द्वारा उपर्युक्त दिनांक व समय को आपराधिक अतिचार करते हुए परिवादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट की गई। इस संबंध में घटना के महत्वपूर्ण साक्षी **परिवादी पी.ड. 5 निरंजन कुमार** के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह ने सशपथ मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 की ताईद करते हुए दिनांक 04.02.2018 को दोपहर करीब 1.30 बजे वह उसके खेत में जाने, वहां पर रामकिशोर, पुसाराम, महेन्द्र, रामुड़ी द्वारा जेसीबी से उसके खेत के माठ पर लगे पेड़ उखाड़ने, उसके द्वारा मना करने पर उक्त मुलजिमान द्वारा उसके साथ गाली गलौच व

मारपीट करने, रामकिशोर द्वारा लाठी से व अन्य मुलजिमान द्वारा मुक्को व लातों से मारपीट करने, सुगनाराम कृषा द्वारा उसे छुड़ाने, घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 5, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 6 पर ए से बी एवं नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 1 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर होने बाबत कथन किये हैं। गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि रामकिशोर के दोनों हाथों में लाठिया थी। रामकिशोर ने उसे एक लाठी से मारपीट की थी। पुलिस वालों ने उसके सामने नक्शा मौका बनाया था। रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 उसके द्वारा लिखी हुई है। यह बात सही है कि पुसाराम पुत्र हरीराम तथा रामुड़ी पत्नी पुसाराम ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। अजखुद कहा कि गाली गलौच की थी। यह कहना गलत है कि वह जो घटना बता रहा है वो रास्ते पर हुई हो अजखुद कहा घटना उसके खेत में हुई। यह सही है कि प्रदर्श पी 1 में एक्स स्थान पर रास्ता आया हुआ है वहां पर दोनों तरफ तारबंदी की हुई है। वह नहीं बता सकता है कि दोनों तारबंदी के बीच में रास्ता है वो कितना फुट चोड़ा है। जब पुलिस मौके पर आई तब जेसीबी मौके पर चल रही थी। पुलिस ने जो मौके पर जेसीबी के टायर के निशान बताये है वो गलत बताये हैं। प्रदर्श पी 1 पर हस्ताक्षर उसके पहले कराये थे और लिखापढ़ी थाने में जाकर बाद में तैयार की थी। उसके दोनों पैरों व घुटनों पर कोई चोटें नहीं आयी थी। उसके दाये पैर की पिण्डली पर चोट आयी थी और खून भी आ गया था। उसके बाये पैर की जांघ पर चोट आयी थी। उसकी जानकारी के अनुसार उसने मुकदमा 4.30 बजे दर्ज कराया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद प्रदर्श पी 5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। प्रदर्शपी 4 में 04.02.2018 को 3.15 बजे पर मेडिकल कराने की बात गलत है उक्त बजे उसने कोई मेडिकल नहीं करवाया था। घटना होने के दस पन्द्रह मिनट बार सुगनारम मौके पर आ गया था।

11. बीच बचाव करने आये परिवादी के कृषा **गवाह पी.ड. 9 सुगनाराम** के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह ने सशपथ मुख्य परीक्षण में बयान देने से पांच साल पहले सर्दियो की बात होने, वह अपने खेत में जीरे में दवाई देने, तब महेन्द्र, रामुड़ी, पुसाराम, रामकिशोर द्वारा वहां पर आने, रामकिशोर के हाथ में लाठी होने, इनके द्वारा निंरजन के साथ मारपीट करने, उसके द्वारा निंरजन को बीच बचाव कर छुड़ाने बाबत कथन किया है। गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि जिस दिन लड़ाई हुई उस दिन वह मौके पर गया था। जेसीबी मौके पर रास्ता की सफाई कर रही थी। जेसीबी चल रही थी वहां पर एक तरफ बाबूराम का खेत, कुन्दन का खेत आया हुआ है तथा दूसरी तरफ पुसाराम वगैरह का खेत आया हुआ है।

पुसाराम के खेत की तारबंदी की हुई है और बाबूराम के खेत के माठ पर लगी हुई है। उसने निंरजन के एक कंधे पर चोट लगी देखी थी उसके थोड़ा सा खून आ रहा था। पुसाराम जी ने कोई मारपीट नहीं की थी। उन्होंने तो बीच बचाव किया था। रामुड़ी के स्वयं के चोट आ गई थी उसने किसी के साथ मारपीट नहीं की थी। वह गया तो मौके पर तब तक 7–8 आदमी इकट्ठे हो गये थे और उसने कुछ नहीं देखा। उन्होंने बीच बचाव किया था।

12. **गवाह पी.ड. 8 कुन्दन** ने सशपथ मुख्य परीक्षण में दिनांक 04.02.2018 को वह जोधपुर में होने, वह गांव धनापा आने पर उसके भाई निरंजन द्वारा उसके साथ रामकिशोर, महेन्द्र उर्फ बगदाराम , पुसाराम व पुसाराम की पत्नी रामूड़ी द्वारा मारपीट करने के बारे में बताने, उसके भाई निंरजन द्वारा जहां पर मारपीट हुई वह जगह बताने, उनका खेत खसरा नम्बर 613 की सीमा में ही होने बाबत कथन किया है। गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि खसरा नम्बर 613, 614 उसके देखे हुए हैं। खसरा नम्बर 613, 614 बाबूराम के बंट में है जो मौखिक बंटवाड़ा हो रखा है। बगदाराम व रामकिशोर का खेत खसरा नम्बर 613 के जुड़ता हुआ आया हुआ है। यह दोनों खेत के बीच का रास्ता है जो उनके कट्टान के बीच से रास्ता जाता है। मौके पर जेसीबी से उस दिन साफ सफाई चल रही हो तो इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मौके पर तारबंदी टूटी हो या कोई वृक्ष जेसीबी से टूटे हो।

13. **गवाह पी.ड. 6 संजीव मुण्डेल** ने सशपथ मुख्य परीक्षण में खसरा नम्बर 613 की खतौनी उसके परिवार के शामलाती होने, यह खेत बाबूराम व उसके लड़के निंरजन के बंट में आया होने, खेत पर बाबूराम व उसके लड़के निंरजन का कब्जा होने बाबत कथन किये हैं। गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि दोनों खेतों के बीच रास्ता आया हुआ है जो 20 फुट चौड़ा है। यह रास्ता उसके खेत से धनापा जाता है। इस रास्ते के दोनों तरफ कहीं बाड़ कहीं तारबंदी की हुई है। **गवाह पी.ड. 7 पारसराम** ने सशपथ मुख्य परीक्षण में खसरा नम्बर 613 की खतौनी उसके परिवार के शामलाती होने, यह खेत बाबूराम व उसके लड़के निंरजन के बंट में आया होने, खे पर बाबूराम व उसके लड़के निंरजन का कब्जा होने बाबत कथन किये हैं। गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि मौके पर रास्ता है जो करीब 20 फुट चौड़ा है। यह रास्ता धनापा से उसके खेतों की तरफ आता है। रास्ते के एक तरफ तारबंदी की हुई है और दूसरी तरफ तारबंदी व बाड़ की हुई है अजखुद कहा उस वक्त मौके पर तारबंदी की हुई थी।

उसने मौके पर लड़ाई झगड़ा नहीं देखा था। वह मौके पर एक घण्टे बाद गया था। यह कहना गलत है कि वह झूठे बयान दे रहा हो।

14. नक्शा मौका से संबंधित **गवाह पी.ड. 1 राजेश व पी.ड. 2 गुमानराम** ने सशपथ मुख्य परीक्षण में नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 1 पर ए से बी व सी से डी उनके हस्ताक्षर होने बाबत औपचारिक कथन किये हैं। तत्कालीन हल्का पटवारी **गवाह पी.ड. 3 अशोक गिवारिया** ने सशपथ मुख्य परीक्षण में वह दिनांक 16.02.2018 को पटवारी के पद पर पटवार मण्डल धनापा में पदस्थापित होने, उस रोज उसके द्वारा प्रदर्श पी 2 जमाबंदी पुलिस थाना गोटन की तहरीर पर जारी करने, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने, उसी रोज नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 3 भी जारी करने, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने बाबत कथन किये हैं। गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि प्रदर्श पी 2 में वर्णित खसरान पर किसका कब्जा है वह नहीं बता सकता है।

15. इस संबंध में परिवादी के आई चोटों की पुष्टि के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा **गवाह पी.ड. 4 डॉ. सुखराम** को परीक्षित करवाया। उक्त गवाह ने सशपथ मुख्य परीक्षण में दिनांक 04.02.2018 को वह सी.एच.सी. में एसएमओ के पद पर कार्यरत होने, उस रोज उसके द्वारा पुलित प्रतिवेदन पर निंरजन के शरीर पर आयी चोटों का मुआय करने, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने, चोट की प्रकृत्ति साधारण होने, चोटों की अवधि छः घण्टे के भीतर की होने बाबत कथन किये हैं। गवाह की जिरह में ऐसा कोई भी विरोधाभास नहीं आया है जिससे यह स्पष्ट हो कि परिवादी के चोट उक्त घटना में नहीं आई हो। इस संबंध में महत्वपूर्ण **गवाह पी.ड. 10 ओमप्रकाश** अनुसंधान अधिकारी के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने अनुसंधान से संबंधित विभिन्न फर्दात पर हस्ताक्षर होने एवं संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त महेन्द्र उर्फ बगदाराम, रामकिशोर उर्फ रामाकिशन के विरूद्ध धारा 447, 323 व 504/34 भादंसं में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी भारत रावत को सुपुर्द करने, थानाधिकारी भारत रावत द्वारा उक्त मुलजिमान के विरूद्ध आरोप पत्र पेश करने बाबत कथन किया है। उक्त गवाह ने **जिरह** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसकी तफ्तीश के अनुसार पुसाराम, रामूड़ी का प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठा नाम लिखाया। उसने जो परिवादी पेड़ उखाड़ना बता रहा है जब्त नहीं किये। यह कहना सही है कि परिवादी व उसके पिता का नाम प्रदर्श पी 2 में खातेदारी में नहीं है अजखुद कहा कि पारिवारिक बंट में आया हुआ है वो ही काश्त करते हैं।

यह कहना सही है कि पारिवारिक बंटवाड़ा होने का उसकी तफ्तीश में कोई दस्तावेज रेकर्ड पर नहीं लिये। वह प्रदर्श पी 3 ट्रेस नक्शा में किसका खसरा पर कब्जा है नहीं बता सकता है। यह सही है कि प्रदर्श पी 4 में मजरूब का ईलाज उसकी उपस्थिति में नहीं हुआ। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 में खसरा नम्बर 613 को दर्शाया नहीं गया। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 5 प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी द्वारा कोई घटना होनी नहीं बतायी गई। उसने 15 दिन पहले की घटना के संबंध में कोई दस्तावेज शामिल पत्रावली नहीं किये। यह कहना सही है कि घटना के 15 दिन पहले गवाह ने जिक्रनहीं किया।

16. इस प्रकार संपूर्ण गवाहों व दस्तावेजात के अवलोकन से दर्शित होता है कि परिवादी पक्ष व अभियुक्त के बीच खेत की माठ को लेकर विवाद था। जिसके कारण परिवादी के साथ मारपीट होना जाहिर आता है। परिवादी/मजरूब पी.ड. 5 निंरजन कुमार, गवाह पी.ड. 9 सुगनाराम ने अभियुक्त द्वारा परिवादी/मजरूब के साथ मारपीट करने बाबत कथन किये हैं। जिनका कोई खण्डन दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि उक्त गवाहान के बयानों में थोड़ा बहुत विरोधाभास है परंतु वह इस तात्विक प्रकृति का नहीं है जिससे कि अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न होता हो। प्रकरण में मजरूब के आयी चोट की पुष्टि गवाह पी.ड. 4 डॉ. सुखराम के बयानों, मजरूब के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 से होती है।

17. अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 447 भादंसं के संबंध में देखे तो नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 में घटनास्थल मार्क एक्स स्थान धनापा से मुण्डेलों की ढ़ाणी आने जाने वाले रास्ते पर बताया गया है। इस संबंध में तत्कालीन पटवारी गवाह पी.ड. 3 अशोक गिवारिया ने जिरह में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 2 में वर्णित खसरान पर किसका कब्जा है वह नहीं बता सकता है। वहीं गवाह पी.ड. 6 संजीव मुण्डेल, पी.ड. 7 पारसराम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में खसरा नम्बर 613 खेत बाबूराम व उसके लड़के निंरजन के बंट में आने व उनका कब्जा होने का कथन किया है। पत्रावली पर प्रदर्शित जमाबंदी खतौनी प्रदर्श पी 2 व ट्रेस नक्शा प्रदर्श पी 3 में खातेदार में परिवादी या उसके पिता का नाम अंकित नहीं है। अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 10 ओमप्रकाश ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि परिवादी व उसके पिता का नाम प्रदर्श पी 2 में खातेदारी में नहीं है। पारिवारिक बंटवाड़ा होने का उसकी तफ्तीश में कोई दस्तावेज रेकर्ड पर नहीं लिये। वह प्रदर्श पी 3 ट्रेस नक्शा में किसका

खसरा पर कब्जा है नहीं बता सकता है। इस प्रकार घटनास्थल वाला खेत परिवादी का कब्जेशुदा खेत हो ऐसी कोई संपुष्टिकारक दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आयी है। ऐसे में यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता कि घटनास्थल परिवादी के कब्जासुद स्थान का हो।

18. इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ मारपीट की गई। अतः संपूर्ण गवाहों के बयानों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 04.02.2018 को मौजा मुण्डेलो की ढाणी सरहद धनापा में परिवादी के साथ थापा, मुक्को व लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां की एवं परिवादी के साथ गाली गलौच कर उसको साशय अपमानित किया कि वह शांति भंग करने हेतु प्रकोपित हो। इसके साथ ही अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 04.02.2018 को मौजा मुण्डेलो की ढाणी सरहद धनापा स्थित परिवादी के खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया। अतः अभियुक्तगण महेन्द्र उर्फ बगदाराम व रामकिशोर उर्फ रामाकिशन को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323 व 504/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध एवं अपराध अंतर्गत धारा 447/34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

19. अतः अभियुक्तगण महेन्द्र उर्फ बगदाराम पुत्र पुसाराम एवं रामकिशोर उर्फ रामाकिशन पुत्र पुसाराम, निवासीगण धनापा, पुलिस थाना गोटन, जिला नागौर को अपराध अंतर्गत धारा 323 व 504/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 447/34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति हेतु पूर्व में लिए गए जमानत मुचलका निरस्त किए जाते हैं।

(अभिलाष कल्ला)
अति. सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गया:–</u>

20. सजा के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण विधि की कम जानकारी रखते हैं। अभियुक्तगण पिछले आठ वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण अपने परिवार के एकमात्र जीविकोपार्जन सदस्य है जिन्हें कारावास से दण्डित करने पर अभियुक्तगण के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ सकती है तथा गरिमामय जीवनयापन असंभव हो जाएगा। बरवक्त घटना अभियुक्तगण की आयु 32 वर्ष व 28 वर्ष थी। अंत में अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया। जिसके विरोध में सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किए हैं कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर आई साक्ष्य से आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित हुआ है, इसलिए अभियुक्तगण को कठोर दंड से दंडित किया जावे।

21. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी बाबत् कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तगण पिछले आठ वर्षों से अन्विक्षा भुगत रहे है। कारावास का दण्ड देने से अभियुक्तगण व उनके परिवार को गरिमामय जीवनयापन करने में कठिनाई हो सकती है। न्यायालय के मत में दण्ड के सुधारात्मक सिद्धांत (रिफोरमेटिव थ्योरी) का हस्तगत प्रकरण में इस्तेमाल करना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे में अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

22. परिणामतः अभियुक्तगण महेन्द्र उर्फ बगदाराम पुत्र पुसाराम एवं रामकिशोर उर्फ रामाकिशन पुत्र पुसाराम, निवासीगण धनापा, पुलिस थाना गोटन, जिला नागौर को अपराध अंतर्गत धारा 323 व 504/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत 10–10 हजार रूपये की मौतबीर जमानते व इसी राशि के स्वयं के बंधपत्र, दो वर्ष तक शांति एवं सदाचार बनाये रखने, इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उपसंजात होने एवं दण्डादेश पाने बाबत्, प्रस्तुत कर प्रमाणित कराये जाने पर, सदाचरण की परिवीक्षा पर छोडा जाता है। इसी अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रथम अभियुक्त पर 1000/–रूपये, अक्षरे रूपये एक हजार मात्र (कुल 2,000/– रुपये), बतौर अभियोजन व्यय अधिरोपित किये जाते हैं। साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 12 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि

अभियुक्तगण उक्त दोषसिद्धि से किसी निर्रहरता से ग्रस्त नहीं होगे। अभियुक्तगण को धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दस–दस हजार रूपये की जमानते व मुचलके पेश करने का आदेश दिया जाता है, जो आगामी छः माह के लिए प्रभावी रहेगा।

(अभिलाष कल्ला)
अति. सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता

23. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाष कल्ला)
अति. सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता